मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना
दिनांक 27 जून, 2024

क्रमांक 1547/मप्रविनिआ–2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 की उप–धारा(1)(छ) सहपठित धारा 181 की उप–धारा(2)(यत) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 547–एमपीईआरसी–2010 दिनांक 03 मार्च, 2010 को अधिसूचित तथा दिनांक 12 मार्च, 2010 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 **{**आरजी–21(I), वर्ष 2010) को निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है, अर्थात् :

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 {आर जी–21(II), वर्ष 2024}

प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया गया था तथा यह जबकि इन विनियमों में कतिपय मुख्य परिवर्तन किये जाने आवश्यक हो गये हैं, अतएव इन विनियमों को पुनरीक्षित किया जा रहा है।

अध्याय एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः

(एक) ये विनियम, **''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 {आर जी–21(II), वर्ष 2024}''** कहलायेंगे।

(दो) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे। तथापि, वित्तीय 2024–25 से आगे विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए पुनरीक्षित टैरिफ शुल्क अनुसूची–1 के अनुसार प्रयोज्य होंगे।

(तीन) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत प्रभावशील होंगे।

अध्याय दो

परिभाषाएं

2. परिभाषाएं :

2.1 जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :

(क) **''आयोग''** अथवा म.प्र.वि.नि.आ. से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(ख) **''विद्युत अधिनियम''** अथवा **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम 36 वर्ष 2003) ;

(ग) **''शुल्क''** से अभिप्रेत है, शुल्क जैसा कि अनुसूची–1 में दर्शाया गया है।

(घ) **''अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों''** से तात्पर्य अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों से है जिसे आयोग अधिनियमों के अन्तर्गत आरोपित करने हेतु अधिकृत है ;

(ङ) **''कोष''** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कोष जिसे विद्युत अधिनियम धारा 103 के अन्तर्गत संस्थापित किया गया है ;

(च) **''उत्पादन कम्पनी''** से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दर्शाये गये अर्थ से है;

(छ) **''अनुज्ञप्तिधारियों''** से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत आने वाले अनुज्ञप्तिधारी ;

(ज) **''विनियमों''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2024 ; और

(झ) **''अनुसूची–1''** से अभिप्रेत इन विनियमों से संलग्न अनुसूची से है ;

2.2 समय–समय पर यथासंशोधित 'दी जनरल क्लॉज एक्ट, 1897' को इन विनियमों की व्याख्या हेतु लागू माना जाएगा।

अध्याय तीन

शुल्क

3. आवेदनों एवं याचिकाओं पर देय शुल्क :

एक. आयोग को प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन, याचिका एवं अपील के साथ अनुसूची–1 में दर्शाये अनुसार शुल्क देय होगा। सह–याचिकाकर्ता यदि कोई हों, को मुख्य याचिकाकर्ता के समकक्ष शुल्क/प्रभारों का भुगतान करना होगा। तथापि केन्द्र/राज्य शासन द्वारा आवेदन/याचिका दायर किये जाने पर, उन पर किसी प्रकार के शुल्क/प्रभार उद्ग्रहित नहीं किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को भी, उसी दशा में, जहां वे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा आपूर्ति टैरिफ के अवधारण के लिये याचिकाओं में सह–याचिकाकर्ता हों को पृथक शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।

दो. याचिकाएं जिनमें दो या दो से अधिक सुस्पष्ट विषयों को सम्मिलित किया गया हो वहां याचिकाओं को इस प्रकार माना जाएगा जैसे कि वे पृथक–पृथक

विषयों के लिये पृथक–पृथक दाखिल की गई है। ऐसी याचिकाओं पर प्रयोज्य शुल्क अनुसूची–1 के अन्तर्गत देय शुल्कों की समेकित राशि के बराबर होगा।

परन्तु यह कि याचिका दाखिल करने वाला गरीबी रेखा (BPL) से नीचे या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) से संबंधित कोई याचिकाकर्ता अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, उपरोक्त उप–कंडिका एक एवं दो के अंतर्गत देय शुल्क से छूट प्रदान करने की मांग करता है तो आयोग अपनी स्वेच्छानुसार उसके शुल्क में पूर्ण/आंशिक छूट प्रदान कर सकेगा। यदि याचिका किसी कंपनी/फर्म या इसी प्रकार की स्थापना द्वारा दाखिल की जाती है तो उसे किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

तीन. इन विनियमों के अन्तर्गत देय शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर जो ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग'' के पक्ष में भोपाल में देय होगा, के माध्यम से या ऑनलाईन पद्धति द्वारा करना होगा। यदि शुल्क की देय राशि एक लाख रूपये से अधिक हो तो इस राशि को इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण पद्धति के माध्यम से मप्रविनिआ के बैंक, खाते में जमा किया जाएगा तथा इसकी सूचना आयोग को दी जाएगी। आयोग के बैंक खाते की पहचान के लिये ब्यौरा आयोग सचिव से या आयोग की वेबसाइट mperc.in से प्राप्त किया जा सकता है।

चार. आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत प्राप्त सम्पूण शुल्क राशि को आयोग के खाते में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

पांच. अनुसूची–1 के सरल क्रमांक 8 एवं 9 के अनुसार वार्षिक शुल्क प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अग्रिम रूप से देय होगा। चूक की दशा में बकाया राशि पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिये जब तक की शुल्क जमा न कर दिया गया हो, विलंब शुल्क देय होगा।

छः. उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यदि बहुवर्षीय टैरिफ की अवधारण हेतु याचिका प्रस्तुत की गई हो तो अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार पूरी टैरिफ अवधि के लिये याचिका प्रस्तुत करते समय ही शुल्क जमा किया जा सकता है। विकल्पतः याचिका प्रस्तुत करते समय विनिर्दिष्ट दर के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये भी शुल्क जमा किया जा सकता है। शेष टैरिफ अवधि के लिये शुल्क प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी तक शुल्क जमा किया जा सकता है। चूक की दशा में बकाया राशि पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिये जब तक की शुल्क जमा न कर दिया गया हो, विलंब शुल्क देय होगा :

परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2024–25 की टैरिफ अवधि के लिये केवल उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शुल्क की राशि दिनांक 31 मार्च 2024 तक जमा की जा सकेगी।

सात. कोई भी याचिका या प्रलेख/दस्तावेज जिसे विनियम की अनुसूची–1 के अनुसार आदेय (Chargeable) निरूपित किया गया हो, को आयोग के समक्ष दाखिल नहीं किया जा सकेगा जब तक यथा निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान न कर दिया जाए। जहां ऐसे शुल्क का भुगतान न किया गया हो या निर्धारित शुल्क से कम राशि का भुगतान किया गया हो वहां याचिकाकर्ता से उसे सूचित किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अपेक्षित शुल्क राशि/अवशेष शुल्क राशि जमा करने की मांग की जा सकती है। मांग की गई राशि जमा न किये जाने पर, ऐसी याचिका को आयोग द्वारा अपने स्वेच्छाधिकार के अन्तर्गत बिना सुनवाई किये लौटाया जा सकेगा।

आठ. यदि कोई याचिकाकर्ता आयोग के समक्ष दाखिल की गई याचिका को किसी कारणवश वापस लेता है तो आयोग अपनी स्वेच्छानुसार याचिकाकर्ता द्वारा इन विनियमों के अनुसार जमा किये गये शुल्क की पूर्ण/आंशिक राशि का प्रत्यर्पण (रिफण्ड) याचिका वापस लेने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कर सकेगा यदि प्रकरण की वापसी (withdrawal) प्रथम सुनवाई के पूर्व की जाए।

नौ. यदि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई मूल याचिका को प्रचलित नियमों के अनुसार अनुपयुक्त/असंगत पाता है तथा याचिकाकर्ता को पुनरीक्षित याचिका दाखिल करने के निर्देश देता है तो याचिकाकर्ता द्वारा मूल याचिका हेतु जमा किये गये शुल्क को, आयोग की स्वेच्छानुसार, पुनरीक्षित याचिका हेतु जमा किये जाने वाले फाइलिंग शुल्क के विरूद्ध समायोजित किया जा सकेगाः

बशर्ते यह कि उपरोक्त उप–कण्डिका (आठ) के अन्तर्गत वापसी (withdrawal) तथा उप–कण्डिका (नौ) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तक (return) प्रचलित कानून के किसी उपबन्ध को प्रतिकूल प्रभावित न करे।

अध्याय चार

अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभार

4.1. अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभार आरोपण :

एक. अधिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन आयोग किसी विषय विशेष अथवा कार्यवाहियों में जो आयोग के समक्ष अथवा अन्य किसी भी समय पर विचाराधीन हो, किसी भी, व्यक्ति, उत्पादन कम्पनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को

अधिनियम के अन्तर्गत संरचित अधिनियम अथवा नियमों, विनियमों या संहिताओं अथवा निर्देश अथवा आदेश जो आयोग द्वारा समय–समय पर लागू किये गये हों, के अनुपालन न किये जाने की दशा में अथवा उनके उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों के आरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

दो. आयोग अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों का परिमाण एवं सीमा का निर्धारण अन्य प्रासंगिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, निम्न बिन्दुओं पर भी विचार करेगा :

- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन का स्वरूप एवं उसका परिणाम
- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप उठाया गया दोषपूर्ण लाभ अथवा अनुचित सुविधा
- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप किसी/किन्हीं व्यक्ति(यों) को हुई हानि अथवा उत्पीड़न का स्तर
- अनुपालन न किये गये अथवा उल्लंघन की आवृत्ति का स्वरूप

तीन. जिस व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार आरोपित किया जाना प्रस्तावित है, उसे अर्थदण्ड/प्रभार आरोपित किये जाने से पूर्व आयोग ऐसे किसी अर्थदण्ड/प्रभार को लगाये जाने अथवा उसके परिमाण अथवा सीमा के स्वरूप के विरूद्ध ऐसे व्यक्ति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

.चार. आयोग ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिसमें उक्त व्यक्ति के उत्तरदायित्व की सीमा जिसका उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है अथवा उल्लंघन किया गया है का उल्लेख करते हुए उसे निश्चित सीमा अवधि प्रदान कर पूछा जाएगा कि क्यों न उसके द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप अथवा उल्लंघन किये जाने के कारण उसके विरूद्ध अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार अधिरोपित न किये जाएं।

पांच. नोटिस के जवाब में, यदि उक्त व्यक्ति लिखित में अनुपालन न किया जाने अथवा उल्लंघन किये जाने की स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करता है, तो आयोग उसे अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार अधिरोपित कर सकेगा जैसा कि वह प्रकरण की परिस्थितियों के अन्तर्गत उचित समझे।

छः. यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उप–खण्ड तीन के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देता अथवा अधिनियम या नियम या आयोग के आदेशों का अनुपालन न किये जाने को नकारता है अथवा उल्लंघन

किये जाने को अस्वीकार करता है, तो आयोग प्रकरण में जांच–पड़ताल कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

सात. आयोग संतुष्ट होने पर कि प्रकरण में किसी प्रकार के अनुपालन में उल्लंघन अथवा अधिनियम, नियमों, विनियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन नही हुआ है तो यह नोटिस को निरस्त करने की कार्यवाही करेगा अथवा जांच की दशा में आदेशों के उल्लंघन या अनुपालन में उल्लंघन पाये जाने पर आयोग ऐसा अर्थदण्ड या प्रभार आरोपित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

4.2. अर्थदण्डों एवं प्रभारों का भुगतान :

(एक) आयोग द्वारा आदेशित अर्थदण्डों तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान आयोग द्वारा अर्थदण्ड अथवा प्रभार संबंधी जारी आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अथवा आयोग द्वारा ऐसे आदेश में बढ़ाई गई अवधि के अन्तर्गत करना होगा।

(दो) अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान इन विनियमों के खण्ड 3 के उप–खण्ड (तीन) में दर्शाई गई विधि द्वारा किया जाएगा।

(तीन) यदि आयोग द्वारा आदेशित अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि में नहीं किया जाता तो उनकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के आधार पर जाएगी।

4.3. अनुसूची–1 का संशोधन :

एक. आयोग अनुसूची–1 में दर्शाए गये शुल्क को समय–समय पर जोड़ने, संशोधन करने, बदलने अथवा राशियों के परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होगा, जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय पांच

विविध

5. निरसन एवं व्यावृत्ति :

एक. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम, 2010 जो अधिसूचना क्रमांक 547–मप्रविनिआ–2010 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12.03.2010 द्वारा जो विषयवस्तु को लागू हों, विनियम के सहपठित संशोधनों सहित को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

दो. इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को इस विनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते

हुए अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यदि यह आवश्यक व उचित समझें तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रावधान से अन्यथा हो।

तीन. संशोधन करने के सामान्य अधिकार : आयोग किसी भी समय ऐसी शर्तों पर जिसे आयोग उचित समझे इन विनियमों में किसी भी प्रावधान का संशोधन जिनके उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से ये विनियम संरचित किये गये हैं, में संशोधन कर सकेगा।

चार. कठिनाइयां दूर करने के अधिकार : यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को मूर्तरूप देने में कठिनाई आती है तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कोई भी सुधार भले वह अधिनियम के किसी प्रावधान से युक्तियुक्त न हो, जो आवश्यक प्रतीत होता हो अथवा कठिनाइयों को दूर करने में वांछनीय हो, संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

टीप– इस विनियम के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार
(डॉ. उमाकांत पाण्डा)
आयोग सचिव

अनुसूची–1 (एक) {मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 के अनुसार}		
स.क्रं.	**आवेदन का विषय**	**प्रस्तावित प्रभार (रूपयों में)**
1.	उत्पादन टैरिफ अवधारणा हेतु आवेदन	
(क)	किसी भी क्षमता का परंपरागत ईंधन आधारित संयंत्र	रू. 5,000/– (रू. पाँच हजार) प्रति वर्ष प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश
(ख)	जल विद्युत संयंत्र, जिनकी क्षमता 25 मेगावाट से अधिक हो	रू. 5,000/– (रू. पाँच हजार) प्रति वर्ष प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश
(ग)	किसी भी क्षमता के गैर–पारम्परिक ऊर्जा नवीकरणीय स्त्रोत, सह–उत्पादन संयंत्र को सम्मिलित करते हुए	रू. 2,000/– (रू. दो हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश, जो न्यूनतम रूपये 10,000/– (रू. दस हजार) प्रति आवेदन के अध्यधीन होगा
(घ)	25 मेगावॉट अथवा इससे कम क्षमता के जल आधारित संयंत्र	रू. 2,000/– (रू. दो हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश, जो न्यूनतम रूपये 20,000/– (रू. बीस हजार) प्रति आवेदन के अध्यधीन होगा
(ङ)	प्रावधिक (provisional) विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)
2.	पारेषण विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु आवेदन	रू. 400/– (रू. चार सौ) प्रति वर्ष प्रति एक मिलियन यूनिट अतिरिक्त उच्च दाब प्रणाली में ऊर्जा प्रदाय अथवा उसका अंश
3.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु याचिका	रू. 500/– (रू. पाँच सौ) प्रति वर्ष प्रति एक मिलियन यूनिट अतिरिक्त उच्च दाब प्रणाली में ऊर्जा प्रदाय ऋण अति उच्च दाब प्रणाली में पारेषण हानियां
4.	ग्रामीण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु याचिका	रू. 2,000/– (रू. दो हजार)
5.	विद्युत उत्पादन कम्पनी/अनुज्ञप्तिधारी /मान्य योग्य अनुज्ञप्तिधारी/व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त है, द्वारा प्रस्तुत विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के पुनरीक्षण के लिये	इस अनुसूची में निर्दिष्ट विषयगत याचिका शुल्क का 25% या रू. 5,00,000/– (रू. पांच लाख) जो भी कम हो
6.	ऐसा व्यक्ति, जो उपरोक्त सरल क्रमांक 5 के अन्तर्गत सम्मिलित न हो, द्वारा विद्युत दर आदेश की समीक्षा हेतु प्रस्तुत याचिका	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)
7.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 (1) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय करने हेतु अथवा धारा 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति से विमुक्ति हेतु आवेदन शुल्क	रू. 5,00,000/– (रू. पाँच लाख) (अपर्त्यणीय)/ (Non- Refundable) दिनांक 07.06.2012 को राज्य सरकार द्वारा विहित, समय–समय पर संशोधन सहित
8.	राज्यान्तरिक व्यापार (Intra-State Trading) अनुज्ञप्ति हेतु वार्षिक शुल्क	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 की कण्डिका 7.2 के अनुसार, समय–समय पर संशोधन सहित
9.	राज्यान्तरिक व्यापार (Intra-State Trading) अनुज्ञप्ति को छोड़कर, अनुज्ञप्ति हेतु वार्षिक शुल्क	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)

अनुसूची–1 (एक) {मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 के अनुसार}		
स.क्रं.	**आवेदन का विषय**	**प्रस्तावित प्रभार (रूपयों में)**
10.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संशोधन हेतु आवेदन	
(क)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा	रू. 2,00,000 / – (रू. दो लाख)
(ख)	अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रू. 1,00,000 / – (रू. एक लाख)
11.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण हेतु।	
(क)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा	रू. 2,00,000 / – (रू. दो लाख)
(ख)	अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रू. 1,00,000 / – (रू. एक लाख)
12.	समस्त छूट प्राप्त व्यक्तियों द्वारा देय वार्षिक शुल्क जिन्हें अनुज्ञप्ति की स्वीकृति से छूट प्रदान की गई है	ऐसा शुल्क जो आवेदन / याचिका प्रस्तुति अथवा किसी उपयुक्त प्रकरण के समय प्रत्येक आवेदन हेतु पृथक से निर्दिष्ट किया जाए या फिर जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए
13.	न्यायालयों अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन।	रू. 1,000 / – (रू. एक हजार) प्रति दिवस (तीन घंटे से अधिक नहीं)
14.	न्यायालयीन अभिलेखों से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन	रू. 20 / – (रू. बीस) प्रति पृष्ठ
15.	अन्तर्वादीय (Interlocutory) आवेदन दाखिल करना	रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार)
16.	दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय अनुबन्ध का अनुमोदन। दीर्घकालीन से अभिप्रेत है एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि	
(क)	किसी भी क्षमता के परंपरागत ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयंत्र	रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसके अंश [उच्चतम रू. 15,00,000 / – (रू. पंद्रह लाख)]
(ख)	25 मेगावॉट अथवा इससे अधिक क्षमता के जल विद्युत संयंत्र	रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसके अंश [उच्चतम रू. 15,00,000 / – (रू. पंद्रह लाख)]
(ग)	किसी भी क्षमता के ऊर्जा के गैर–परंपरागत तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्त्रोत	रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार) प्रति मेगावॉट अथवा उसके अंश, [न्यूनतम रू. 1,00,000 / – (एक लाख) अधिकतम रू. 7,50,000 / – (रू. सात लाख पचास हजार)।]
(घ)	25 मेगावॉट अथवा इससे अधिक क्षमता के जल विद्युत संयंत्र	रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार) प्रति मेगावॉट अथवा उसके अंश, [न्यूनतम रू. 1,00,000 / – (एक लाख) अधिकतम रू. 7,50,000 / – (रू. सात लाख पचास हजार)।]
17.	लघुकालीन ऊर्जा क्रय अनुबंध समस्त स्त्रोतों से (लघुकालीन से अभिप्रेत है, एक वर्ष से कम की अवधि)	रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार) प्रति अनुबंध

अनुसूची–1 (एक) {मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 के अनुसार}		
स.क्रं.	आवेदन का विषय	प्रस्तावित प्रभार (रूपयों में)
18.	विवादों का निपटान हेतु याचिका, जो विद्युत अधिनियम 2003 एवं तत्संबंधी निर्दिष्ट विनियमों के अन्तर्गत आते हैं, के संबंधित याचिका	
(क)	जो किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये जाएं या विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा जो ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोतों का उपयोग करती हो	रू. 2,00,000 / – (रू. दो लाख)
(ख)	जो किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये जाएं या जो ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्त्रोतों का उपयोग करती हो	रू. 1,00,000 / – (रू. एक लाख)
(ग)	जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जो किसी आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र का स्वामी हो	रू. 1,00,000 / – (रू. एक लाख)
(घ)	ऐसा कोई प्रकरण जिसकी गणना अधिनियम की धारा 86(1)(च) के अन्तर्गत की जाए, को किसी निर्णायक (arbitrator) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए	निर्णायक को देय शुल्क राशि, यदि कोई हो, को पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा
19.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अधीन अग्रिम अनुमोदन प्राप्ति हेतु आवेदन	रू. 7,50,000 / – (रू. सात लाख पचास हजार)
20.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 35 के अधीन अन्तर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन	रू. 1,00,000 / – (रू. एक लाख)
21.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 35 के परन्तुक के अधीन अधिशेष क्षमता की मात्रा के निर्धारण हेतु विवाद का न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निपटान के लिये प्रस्तुत की गई याचिका विषयक	रू. 2,00,000 / – (रू. दो लाख)
22.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 36 की उप– धारा 36 के परन्तुक के अधीन, शुल्कों (दरों), प्रभारों, निबंधनों एवं शर्तों के अवधारण हेतु आवेदन	रू. 2,00,000 / – (रू. दो लाख)
23.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162(2) के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षक अथवा किसी विद्युत निरीक्षक के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील के अन्तर्गत।	रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार)
24.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप– धारा के अधीन (सड़कों की खुदाई, रेलवे आदि) उद्भूत किसी विवाद के प्रकरण में प्रस्तुत की गई याचिका के बारे में।	रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार)
25.	विद्युत–दर के सत्यापन हेतु आवेदन यदि यह पृथक याचिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए	रू. 2,00,000 / – (रू. दो लाख)
26.	अन्य कोई आवेदन या याचिका जो विशिष्ट रूप से उपरोक्त उल्लेखित किसी उपबन्धों के अधीन नहीं आते हों	रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार)
27.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन विद्युत–दर (टैरिफ) को अंगीकार (adopt) करने के बारे में आवदेक के लिये शुल्क।	रू. 10,00,000 / – (रू. दस लाख)
28.	उपरोक्त सरल क्रमांक 18, 21, 24 तथा 26 के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका से संबंधित किसी आदेश / निर्णय या दिशा–निर्देश के बारे में समीक्षा हेतु (जहां तक कि इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से याचिका से है) प्रस्तुत की गई याचिका।	इस याचिका में विषयान्तर्गत विनिर्दिष्ट याचिका शुल्क का 25% अथवा रू. 25,000 / – (रू. पच्चीस हजार) इनमें से जो भी अधिक हो

अनुसूची–1 (एक) {मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 के अनुसार}		
स.क्रं.	**आवेदन का विषय**	**प्रस्तावित प्रभार (रूपयों में)**
29.	उपरोक्त सरल क्रमांक 7 से 26 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन के बारे में (सरल क्रमांक 28 में उल्लेखित सरल क्रमांकों को छोड़कर) से संबंधित किसी आदेश/निर्णय या दिशा–निर्देश के बारे में पुनर्विचार हेतु किसी आवेदन हेतु	इसी अनुसूची के अन्तर्गत कथित सरल क्रमांक के विरूद्ध निर्दिष्ट की गई शुल्क राशि के बराबर